मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल
दूरभाष क्र. 0755–2550091

द्वितीय बैठक

मनरेगा अंतर्गत वित्त वर्ष 2012–13 में राशि जारी करने संबंधी एप्राईज़ल कमेटी की द्वितीय बैठक दिनांक 16.05.2012 का कार्यवाही विवरण।

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् के पत्र क्र. 4467 दिनांक 02.05.2012 के तारतम्य में दिनांक 16.05.2012 को सिवनी, राजगढ़, कटनी, जबलपुर, गुना, एवं खरगौन के मुख्यकार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समवन्यक एवं लेखाधिकारी उपस्थित हुए। उपस्थित अधिकारियों की सूची पत्र के साथ परिशिष्ट 01 पर संलग्न है। मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेशों के अन्तर्गत एप्राईजल कमेटी के सदस्य उपस्थित हुए। परिशिष्ट 02।

निम्न क्रमवार जिलों के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत राशि मांग के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। *परिषद् के पत्र क्रमांक 1498 दिनांक 13.2.2012 के पालन हेतु निरंतर निर्देश दिये गये हैं परन्तु जिले इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहें हैं, जिलों को निर्देश दिये गये कि पत्र क्रमांक दिनांक 13.2.2012 के तारतम्य में प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अनिवार्य रूप से निर्देशित क्रम में ही संलग्नक लगाऐं एवं सलग्नकों की पेंजिंग एवं* Indexing *भी निम्नानुसार करें। यह भी सुनिश्चित किया जाये की प्रस्ताव एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों पर जिला कार्यक्रम समन्वयक अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं लेखाधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से हों –*

जिला सिवनी

- जिले के पास समग्र रूप से राशि की उपलब्धता होने के कारण समिति द्वारा समग्रतः उपलब्ध राशि में से व्यय किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

- समिति द्वारा जिले को निर्देशित किया गया कि लाईन विभागों के पास कम से कम राशि रखी जावें।

- जिले के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मार्च माह में राशि दिये जाने से प्रारंभिक शेष अधिक परिलक्षित है।

- विमुक्त की जाने वाली राशि की गणना जिले के प्रथम चार माह के लेबर बजट मे से जिले को बैठक दिनांक की कुल उपलब्धता घटाते हुए एवं उक्त में वित्त वर्ष 2012–13 में किये गये बैठक दिनांक के एमआईएस का 10 गुना अथवा किये गये वास्तविक व्यय (दोनो में से जो कम हो) को जोड़ते हुए की गई। आकलित राशि का लगभग 10 प्रतिशत वर्तमान में प्रस्तावित किया गया है। शेष 90 प्रतिशत जिले को कुल उपलब्धता का 75 प्रतिशत व्यय एमआईएस किये जाने पर जारी किया जाएगा।

- जिले के व्यय का आंकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर राशि रूपये 32.00 करोड़ की अनुसंशा की गई जिसमें से 3.00 करोड़ जारी किये जा रहे है एवं शेष 29.00 करोड़ कुल उपलब्ध राशि का 75 प्रतिशत एमआईएस होने पर जारी किये जायेगें।

जिला राजगढ़

- जिले के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायतों में राशि अन्तरण में बैंकों द्वारा अधिक बिलम्ब किया जाता हैं जिस पर समिति द्वारा विशेष प्रकरण बनाकर जिले को मुख्यालय भेजे जाने हेतु प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

- जिले में अपूर्ण कार्य बहुत अधिक एमआईएस में दर्शित होने के कारण जिले को कार्य पूर्ण किये जाकर एमआईएस किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

- विमुक्त की जाने वाली राशि की गणना जिले के प्रथम चार माह के लेबर बजट मे से जिले को बैठक दिनांक की कुल उपलब्धता घटाते हुए एवं उक्त में वित्त वर्ष 2012–13 में किये गये बैठक दिनांक के एमआईएस का 10 गुना अथवा किये गये वास्तविक व्यय (दोनो में से जो कम हो) को जोड़ते हुए की गई। आकलित राशि का लगभग 10 प्रतिशत वर्तमान में प्रस्तावित किया गया है। शेष 90 प्रतिशत जिले को कुल उपलब्धता का 75 प्रतिशत व्यय एमआईएस किये जाने पर जारी किया जाएगा।

- जिले के व्यय का आंकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर राशि रूपये 59.00 करोड़ की अनुसंशा की गई जिसमें से 6.00 करोड़ जारी किये जा रहे है एवं शेष 53.00 करोड़ कुल उपलब्ध राशि का 75 प्रतिशत एमआईएस होने पर जारी किये जायेगें।

जिला कटनी

- जिला पंचायत को आंतरिक अंकेक्षण की प्रगति एवं ऑडिट कडिण्काओं का पालन प्रतिवेदन साफ्टवेयर में अंकित किये जाने हेतु जिले को समिति द्वारा निर्देशित किया गया।

- जिले में अपूर्ण कार्य बहुत अधिक एमआईएस में दर्शित होने के कारण जिले को कार्य पूर्ण किये जाकर एमआईएस किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

- विमुक्त की जाने वाली राशि की गणना जिले के प्रथम चार माह के लेबर बजट मे से जिले को बैठक दिनांक की कुल उपलब्धता घटाते हुए एवं उक्त में वित्त वर्ष 2012–13 में किये गये बैठक दिनांक के एमआईएस का 10 गुना अथवा किये गये वास्तविक व्यय (दोनो में से जो कम हो) को जोड़ते हुए की गई। आकलित राशि का लगभग 10 प्रतिशत वर्तमान में प्रस्तावित किया गया है। शेष 90 प्रतिशत जिले को कुल उपलब्धता का 75 प्रतिशत व्यय एमआईएस किये जाने पर जारी किया जाएगा।

- जिले के व्यय का आंकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर राशि रूपये 15.00 करोड़ की अनुसंशा की गई जिसमें से 2.00 करोड़ जारी किये जा रहे है एवं शेष 13.00 करोड़ कुल उपलब्ध राशि का 75 प्रतिशत एमआईएस होने पर जारी किये जायेगें।

जिला गुना

- जिले के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में शेडों एरिया के अन्तर्गत ग्रामों की संख्या कुल ग्राम पंचायतों की तुलना में अधिक है जिस पर समिति द्वारा कहा गया कि उक्त बिन्दु का पुनः अवलोकन किया जावे।

- जिले के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मार्च माह में राशि दिये जाने से प्रारंभिक शेष अधिक परिलक्षित है।

- जिला पंचायत को आंतरिक अंकेक्षण की प्रगति एवं ऑडिट कडिण्काओं का पालन प्रतिवेदन साफ्टवेयर में अंकित किये जाने हेतु जिले को समिति द्वारा निर्देशित किया गया।

- विमुक्त की जाने वाली राशि की गणना जिले के प्रथम चार माह के लेबर बजट मे से जिले को बैठक दिनांक की कुल उपलब्धता घटाते हुए एवं उक्त में वित्त वर्ष 2012–13 में किये गये बैठक दिनांक के एमआईएस का 10 गुना अथवा किये गये वास्तविक व्यय (दोनो में से जो कम हो) को जोड़ते हुए की गई। आकलित राशि का लगभग 10 प्रतिशत वर्तमान में प्रस्तावित किया गया है। शेष 90 प्रतिशत जिले को कुल उपलब्धता का 75 प्रतिशत व्यय एमआईएस किये जाने पर जारी किया जाएगा।

- जिले के व्यय का आंकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर राशि रूपये 48.00 करोड़ की अनुसंशा की गई जिसमें से 5.00 करोड़ जारी किये जा रहे है एवं शेष 43.00 करोड़ कुल उपलब्ध राशि का 75 प्रतिशत एमआईएस होने पर जारी किये जायेगें।

जिला जबलपुर

- जिला पंचायत को आंतरिक अंकेक्षण की प्रगति एवं ऑडिट कडिण्काओं का पालन प्रतिवेदन साफ्टवेयर में अंकित किये जाने हेतु जिले को समिति द्वारा निर्देशित किया गया।

- जिले में अपूर्ण कार्य बहुत अधिक एमआईएस में दर्शित होने के कारण जिले को कार्य पूर्ण किये जाकर एमआईएस किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

- विमुक्त की जाने वाली राशि की गणना जिले के प्रथम चार माह के लेबर बजट मे से जिले को बैठक दिनांक की कुल उपलब्धता घटाते हुए एवं उक्त में वित्त वर्ष 2012–13 में किये गये बैठक दिनांक के एमआईएस का 10 गुना अथवा किये गये वास्तविक व्यय (दोनो में से जो कम हो) को जोड़ते हुए की गई। आकलित राशि का लगभग 10 प्रतिशत वर्तमान में प्रस्तावित किया गया है। शेष 90 प्रतिशत जिले को कुल उपलब्धता का 75 प्रतिशत व्यय एमआईएस किये जाने पर जारी किया जाएगा।

- जिले के व्यय का आंकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर राशि रूपये 17.00 करोड़ की अनुसंशा की गई जिसमें से 2.00 करोड़ जारी किये जा रहे है एवं शेष 15.00 करोड़ कुल उपलब्ध राशि का 75 प्रतिशत एमआईएस होने पर जारी किये जायेगें।

जिला खरगौन

- सामग्री एवं मजदूरी अनुपात 60:40 जिले में संधारित नहीं है जिसका मुख्य कारण जिलें द्वारा बताया गया कि पूर्व वर्षों में पक्के कार्य स्वीकृत किये जाने के कारण है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मजदूरी आधारित कार्यों को प्राथमिकता के रूप से स्वीकृत किया जाकर प्रारंभ करवाये जाये जिससे कि अनुपात सही हो सकें।

- जिला पंचायत को आंतरिक अंकेक्षण की प्रगति एवं ऑडिट कडिण्काओं का पालन प्रतिवेदन साफ्टवेयर में अंकित किये जाने हेतु जिले को समिति द्वारा निर्देशित किया गया।

- जिले के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मार्च माह में राशि दिये जाने से प्रारंभिक शेष अधिक परिलक्षित है।

- विमुक्त की जाने वाली राशि की गणना जिले के प्रथम चार माह के लेबर बजट मे से जिले को बैठक दिनांक की कुल उपलब्धता घटाते हुए एवं उक्त में वित्त वर्ष 2012–13 में किये गये बैठक दिनांक के एमआईएस का 10 गुना अथवा किये गये वास्तविक व्यय (दोनो में से जो कम हो) को जोड़ते हुए की गई। आकलित राशि का लगभग 10 प्रतिशत वर्तमान में प्रस्तावित किया गया है। शेष 90 प्रतिशत जिले को कुल उपलब्धता का 75 प्रतिशत व्यय एमआईएस किये जाने पर जारी किया जाएगा।

- जिले के व्यय का आंकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर राशि रूपये 37.00 करोड़ की अनुसंशा की गई जिसमें से 4.00 करोड़ जारी किये जा रहे है एवं शेष 33.00 करोड़ कुल उपलब्ध राशि का 75 प्रतिशत एमआईएस होने पर जारी किये जायेगें।

इसी के साथ निम्न निर्देश दिये गये –

1. जिले के प्रशासनिक व्यय के संबंध में नमूना के तौर पर MIS में दर्ज प्रविष्टियों को दिखाया गया व्यय के सही वर्गीकरण हेतु एवं सही MIS हेतु निर्देशित किया गया।
2. वित्त वर्ष 2010–11 की सीए ऑडिट रिपोर्ट के प्रारंभिक शेष को तत्काल MIS में अंकित किया जाये।
3. ऑडिट की कण्डिकाओं का पालन जिले तत्काल सुनिश्चित कर परिषद को प्रेषित करें।
4. संकल्प संबंधित कोई भी बिन्दु जिले में लंबित न रखा जाऐ।
5. मानव दिवस में गिरावट न हो एवं योजना संचालन सफलता पूर्वक हो। इस गिरावट के कारणों की सूक्ष्मता से वर्यवेक्षण करें।
6. 60 : 40 का अनुपात का संधारण हो।
7. कार्यपूर्णता दर बढ़ाई जाये।
8. औसत मजदूरी भुगतान की स्थिति पर नियंत्रण रखें।
9. ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यय पर नियमानुसार परीक्षण करें। कार्यों के कंटिनजेंसी व्यय का सही उपयोग हो इस हेतु ध्यान आकर्षित किया गया। ग्राम पंचायतों को वर्तमान में प्रशासनिक व्यय अनुमत्य नहीं है एवं जिन मदों में अनुमत्य है वह जनपद के प्रशासनिक व्यय पर ही समायोजित होगा।
10. ऑडिट एवं फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट के सॉफ्टवेयर में समस्त आकड़ें तत्काल अंकित किए जाऐं। इसी प्रकार मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के सॉफ्टवेयर में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आकड़े अंकित करना सुनिश्चित करें।
11. भविष्य में जिले अपनी मांग प्रस्ताव भेजने समय मासिक लेबर बजट के विरूद्ध कितना व्यय हुआ एवं जो प्रस्ताव है वह किस प्रकार मासिक लेबर बजट से सुसंगत है इस को भी अंकित कर स्पष्ट रूप से राशि का प्रस्ताव रखा करें।
12. जिलों को यह भी निर्देशित किया गया जिन ग्राम पंचायतों में अत्याधिक वित्तीय संव्यवहार हो रहें हैं उनके संबंध में सूक्ष्म अनुश्रवण किया जाऐ।

आयुक्त मनरेगा एवं अध्यक्ष एप्राईज़ल कमेटी द्वारा अनुमोदित।

(डॉ. राजीव ~~सक्सेना~~)
संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
एवं सदस्य सचिव एप्राइज़ल कमेटी

पृ.क्रमांक / 5171 /NR-4/MGNREGS-MP /12 भोपाल, दिनांक 28 / 05 / 12

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त पंचायती राज संचालनालय, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य अभियंता मनरेगा मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. संयुक्त आयुक्त समन्वय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विध्याचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संयुक्त आयुक्त–II मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा) मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. संचालक, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
10. सिस्टम एनालिस्ट मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
11. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला सिवनी, राजगढ़, कटनी, जबलपुर, गुना, एवं खरगौन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी, राजगढ़, कटनी, जबलपुर, गुना, एवं खरगौन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
एवं सदस्य सचिव एप्राईज़ल कमेटी

परिशिष्ट 02

उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्र.	अधिकारी का नाम	पद
1	श्री नीरज मण्डलाई	आयुक्त, मनरेगा
2	श्री प्रभाकांत कटारे	मुख्य अभियंता मनरेगा
3	श्री विकास मिश्रा	संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
4	सुश्री संजना जैन	संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
5	श्री सुरेश्वर सिंह	संयुक्त आयुक्त समन्वय, विकास आयुक्त कार्यालय,
6	श्री घनश्याम सिंह	संयुक्त संचालक वित्त आयुक्त पंचायत राज के प्रतिनिधि
7	श्री एच.पी. शिवहरे	मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
8	डॉ. श्री राजीव सक्सेना	संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा), मनरेगा
9	श्री प्रद्युम्न शर्मा	संचालक, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, मनरेगा

परिशिष्ट 01

उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्र.	अधिकारी का नाम	पद
1	श्री संकेत भौड़वे	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी
2	श्री सिशांक मिश्रा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजगढ़
3	श्री ज़ेड.यू. शेख	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी
4	श्री विशेष गड़पाले	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर
5	श्री वीरेन्द्र सिंह रावत	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना
6	श्री पी.सी. शर्मा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खरगौन